न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः– रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 03 / 2022

प्रार्थीः–

सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार ओसियां। तिवरी

–::बनाम::–

अप्रार्थीगणः–

रामुराम वगैरा।

उपस्थित –

प्रार्थी की ओर से – सरकारी पैरोकार।

अप्रार्थी दुर्गाराम की ओर से– अधिवक्ता श्री रामकिशोर ओझा।

अन्य अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांकः– 12/3/22

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– ग्राम पंचायत चण्डालिया में चण्डालिया से गगाड़ी तक एक कदिमी रास्ता चलता है जो खसरा नम्बर 210/6 रकबा 2.4281 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 221 रकबा 9.8500 हैक्टेयर ग्राम गगाड़ी में से होकर चलता है। जो कि पुराने समय से चालू है तथा वर्तमान में भी चालू है। उक्त प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जिसमें लाल स्याही से रास्ता दर्शाया गया

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस प्रेषित किये अप्रार्थी दुर्गाराम की ओर से अधिवक्ता श्री रामकिशोर ओझा उपस्थित। अन्य अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी दीपचन्द उर्फ दीपाराम पुत्र श्री नन्दराम फौत के वारिसान को रेकर्ड पर लेने हेतु

सहायक कलेक्टर ओसियां

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता श्री रामकिशोर ओझा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी दुर्गाराम ने प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता राजस्व रकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करने हेतु सहमति जाहिर की।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रस्ताव व नजरी नक्शे से स्पष्ट है कि उक्त रास्ता मौके पर चालु हालत में है। इस प्रकार उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गगाड़ी के खसरा नम्बर 210/6 रकबा 2.4281 हैक्टेयर में से 0.0323 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 221 रकबा 9.8500 हैक्टेयर में से 0.3480 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि रास्ते के रूप में दर्ज की जाकर नजरी नक्शे अनुसार रास्ता राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 12/3/22 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner